उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, १४—अशोक मार्ग, लखनऊ—२२६००१
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

फैक्स नं0. 0522—2286643
☎ नं0. 0522—2218213

पत्र सं0: 2388—मा0सं0प्र0—02/उनिलि/2017—48—मा0सं0प्र0—02/2001 दिनांक : 18 सितम्बर, 2017

फैक्स (1) **मुख्य अभियन्ता (स्तर— I / II),**
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/
परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ ।

(2) **मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)**
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

विषय :— *उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, को सप्तम वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2016 ,दिनांक 01.07.2016 एवं 01.01.2017 से अनुमन्य महँगाई भत्ते की दरों का भुगतान।*

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आदेश सं0 1380—मा0स0प्र0—02/उनिलि/2016, दिनांक 24.06.2016, सं0 721—मा0स0प्र0—02/उनिलि/2016, दिनांक 28.03.2017 एवं सं0 1688—मा0स0प्र0—02/उनिलि/2017, दिनांक 06.09.2017 के माध्यम से उत्पादन निगम के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी वेतनमानों में दिनांक 01.01.2016, दिनांक 01.07.2016 एवं 01.01.2017 से महँगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें अनुमन्य करायी गई हैं।

2— उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों के सम्बन्ध में सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण का आदेश उत्पादन निगम के आदेश सं0 1303 मा0स0प्र0—04/उनिलि/2017, दिनांक 01.09.2017 के माध्यम से जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में निगम के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नानुसार महँगाई भत्ता अनुमन्य होगा :—

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2016	शून्य
01 जुलाई, 2016	02 प्रतिशत
01 जनवरी, 2017	04 प्रतिशत

3— इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.16 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन से हैं किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिधि में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4— महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम—9(21) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।

क्रमशः..... 2/—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, १४—अशोक मार्ग, लखनऊ—२२६००१
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065
फैक्स नं0. 0522—2286643
नं0. 0522—2218213

5— इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6— इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

7— दिनांक 01.01.2017 से देय बढ़ी हुई महँगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान माह अगस्त, 2017 का वेतन, जो माह सितम्बर, 2017 में देय है, से नकद किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त महँगाई भत्ते की दरों के अवशेष का भुगतान उत्पादन निगम के सप्तम वेतन आयोग के वेतन पुनरीक्षण आदेश दिनांक 01.09.2017 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

8— महंगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगें।

भवदीय,
18.09.17
(दिनेश कुमार शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0—02)

सं0: 2388 —मा0सं0प्र0—02/उनिलि/2017, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव। ।
2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
3. महाप्रबन्धक(मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक(पीपीएमएम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, टीसी—46/वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010 ।
5. मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/ईंधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर0एण्डएम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(जानपद)/(जानपद नव—परियोजनाएं), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
7. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. महा प्रबन्धक(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010 को निगम वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, १४—अशोक मार्ग, लखनऊ—२२६००१
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065
फैक्स नं0. 0522—2286643
नं0. 0522—2218213

11. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0—01/02/03/04/05/06/रिफार्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
13. समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी(मानव संसाधन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे0 एवं ले0)/(पेंशन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ ।
15. कार्मिक अधिकारी(औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
16. कट फाइल ।

आज्ञा से,

18.09.17

(दिनेश कुमार शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0—02)